



2026 : AHC : 38835

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6953 वर्ष 2026

अरविंद राय एवं अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याची हेतु अधिवक्ता : चंद्र भान यादव

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचियों के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचियों ने प्रतिवादी संख्या 2-तहसीलदार (न्यायिक), तहसील-निजामाबाद, जिला आजमगढ़ को वाद संख्या 8380 वर्ष 2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202515060208380 को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।
4. याची के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को नोट करना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह आदेश देता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्राधिकारी के लिए इसे कानून के अनुसार कड़ाई से समयबद्ध अवधि के भीतर निस्तारित करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7):

"(7). तहसीलदार नामान्तरण के अविवादित मामले को मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामान्तरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो उसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के प्रकाश में, अधिकारियों को उक्त आवेदन को लेने और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से इसके गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश जारी किया जाता है, परंतु बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने परस्पर विरोधी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

20 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।